

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून**

**महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195**

**सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 20/2020-21/**

**दिनांक : 15/03/2021**

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम - कोटद्वार,

जनपद - पौड़ी गढ़वाल।

**विषय : नगर निगम कोटद्वार, जनपद- पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 04/2018 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में 01 प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 18 प्रस्तर एवं STAN में शून्य प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 34 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक :**

1. प्रतिवेदन की प्रति।
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

**भवदीय,**

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II**

**सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 20/2020-21/**

**दिनांक: 15/03/2021**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
- 3- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005 ।

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II**

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 20 /2020-21

निरीक्षण आख्या कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

### भाग-प्रथम

1- **परिचयात्मक:-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु शर्मा एवं विनीत कुमार राही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.08.2018 से 10.08.2018 तक श्री ए. के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई थी।

#### 1. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

- (i) भौगोलिक क्षेत्र: **52 वर्ग कि.मी.**
- (ii) जनसंख्या: **1,35,544 (2011 की जनसंख्या के अनुसार)**
- (iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **41**
- (iv) नगर निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **05**
- (v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**
- (vi) कर्मचारियों की संख्या: **70** ।
- (vii) नगर निगम की संपत्तियाँ: **कार्यालय भवन, दुकानें पार्क, रिफ़्यूजी क्वार्टर।**
- (viii) नगर निगम के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**
- (ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
- (x) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
- (xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ, बजट निगम बोर्ड से पारित हुआ है।**

**कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण**

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	640,840	16,301,000	0	16,941,840	5,430,292	11,511,548
2	राज्य वित्त आयोग	3,151,945	89,545,000	0	92,696,945	65,263,401	27,433,544
3	स्वच्छ भारत मिशन	0	4,566,625	59,295	4,625,920	273,431	4,352,489
4	मुख्यमंत्री घोषणा	583,287	0	12716	596,003	348,548	247,455
5	सांसद निधि	73,271	0	927	74,198	53370	20,828
6	विधायक निधि	0	6,790,000	79,696	6,869,696	3,544,750	3,324,946
7	निकाय निधि	2128344	9002420	38700	11,169,464	10,504,231	665,233
	<b>कुल योग</b>	<b>6,577,687</b>	<b>126,205,045</b>	<b>191,334</b>	<b>132,974,066</b>	<b>85,418,023</b>	<b>47,556,043</b>

**कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण**

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	11,511,548	29,030,000		40,541,548	13,746,047	26,795,501
2	राज्य वित्त आयोग	27,433,544	91,704,000		119,137,544	70,368,436	48,769,108
3	स्वच्छ भारत मिशन	4,352,489	200,000	53,161	4,605,650	4,128,227	477,423
4	मुख्यमंत्री घोषणा	247,455	0	8775	256,230	0	256,230
5	सांसद निधि	20,828	0	739	21,567	0	21,567
6	विधायक निधि	3,324,946	2,355,000	39,829	5,719,775	4,926,400	793,375
7	निकाय निधि	665,233	11,881,660	44,053	12,590,946	8,357,079	4,233,867
8	अवस्थापना निधि	0	16,738,000	222,872	16,960,872	9,545,965	7,414,907
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
	<b>कुल योग</b>	<b>47,556,043</b>	<b>156,528,660</b>	<b>369,429</b>	<b>204,454,132</b>	<b>111,072,154</b>	<b>93,381,978</b>

**कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण**

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	26,795,501	28,526,600	0	55,322,101	54,153,274	1,168,827
2	राज्य वित्त आयोग	48,769,108	92,873,000	0	141,642,108	95,396,211	46,245,897
3	स्वच्छ भारत मिशन	477,423	7,585,375	164,567	8,227,365	48,415	8,178,950
4	मुख्यमंत्री घोषणा	256,230	0	9,111	265,341	0	265,341
5	सांसद निधि	21,567	0	767	22,334	0	22,334
6	विधायक निधि	793,375	0	22,738	816,113	201,836	614,277
7	निकाय निधि	4,233,867	8,008,884	42,888	12,285,639	11,590,168	695,471
8	अवस्थापना निधि	7,414,907	0	125,062	7,539,969	1,940,798	5,599,171
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	4,620,000	924,000	70,254	5,614,254	5,479,570	134,684
	<b>कुल योग</b>	<b>93,381,978</b>	<b>137,917,859</b>	<b>435,387</b>	<b>231,735,224</b>	<b>168,810,272</b>	<b>62,924,952</b>

**लेखाओं पर टिप्पणी :-**

- वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है।
- लेखाओं का रख रखाव उत्तराखंड नगरीय लेखा संग्रह द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।
- इकाई द्वारा अनुदान पंजिका तथा निर्माण कार्यों से संबन्धित पंजिका नहीं बनायी गयी है।
- रोकड़ बही का रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

**कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत  
प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण**

(₹ में)

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	केन्द्रीय वित्त आयोग	640,840	16,301,000	0	16,941,840	5,430,292	11,511,548
2018-19	केन्द्रीय वित्त आयोग	11,511,548	29,030,000	0	40,541,548	13,746,047	26,795,501
2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	26,795,501	28,526,600	0	55,322,101	54,153,274	1,168,827
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	0	4,566,625	59,295	4,625,920	273,431	4,352,489
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	4,352,489	200,000	53,161	4,605,650	4,128,227	477,423
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	477,423	7,585,375	164,567	8,227,365	48,415	8,178,950
2017-18	सांसद निधि	73,271	0	927	74,198	53,370	20,828
2018-19	सांसद निधि	20,828	0	739	21,567	0	21,567
2019-20	सांसद निधि	21,567		767	22,334	0	22,334
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0	0
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	4,620,000	924,000	70,254	5,614,254	5,479,570	134,684

## भाग 2(अ)

**प्रस्तर-01:** निविदा की प्रक्रिया में अनियमितता तथा अधिप्राप्ति के नियमों के विपरीत शून्य चार्ज कोट करने वाली निविदादाता की वित्तीय निविदा को न्यूनतम (L1) स्वीकार कर ₹ 6.54 लाख के बिलों का अनधिकृत भुगतान किया जाना ।

**उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार :-**

**नियम संख्या 13(2)(ख)** केवल उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जाएगा, जिन्होंने तकनीकी निविदा में अहर्ता प्राप्त की है तथा शेष वित्तीय निविदाओं के लिफाफे नहीं खोले जाएंगे एवं संबन्धित निविदादाताओं को वापिस कर दिये जाएंगे। **नियम संख्या 20(क)** निविदादाताओं के लिए आवश्यक अहर्ता तथा पात्रता के मापदण्ड – जैसे न्यूनतम स्तर का अनुभव कितना है, विगत कार्यपूर्ति (परफॉर्मेंस), तकनीकी कार्यक्षमता, विनिर्माण की सुविधाएं, वित्तीय स्थिति आदि, जिनका निविदादाता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक होगा। **नियम संख्या 20(झ)** निविदा प्रपत्रों में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि यदि कोई निविदादाता/ फर्म शून्य (निल चार्जेज) अंकित करता है तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। **नियम 62(3) ₹ 50,00,000/-** से आगणित मूल्य के कार्य / सेवाओं हेतु अभिरूचि के अभिव्यक्ति/प्रस्ताव (ईओआई /आरएफपी) के माध्यम से द्वि-निविदा प्रणाली (टू-बिड सिस्टम) अपनाया जाय

इकाई द्वारा उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 05.11.2019 को निगम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति बाबत निविदाएँ आमंत्रित की गयी । निविदा आमंत्रण के तारतम्य में चार फर्म/ व्यक्तियों द्वारा निविदाएँ भेजी गयी। दिनांक 13.11.2019 को निविदाएँ खोली गयी जिनमें मैसर्स शुभम पयाल तथा श्री अनिल नेगी द्वारा दी गयी निविदा तकनीकी अहर्ता पूरी नहीं कर पायी। परंतु तकनीकी निविदा के तुलनात्मक विवरण में इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी गयी थी। पुनः वित्तीय निविदा के तुलनात्मक विवरण में तकनीकी अहर्ता प्राप्त न होने वाली फर्म/व्यक्तियों को शामिल किया गया तथा श्रीमती मीना रावत, मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज द्वारा शून्य शुल्क पर दी गयी निविदा L1 मानकर स्वीकार कर ली गयी। मार्च 2020 (लेखापरीक्षा अवधि) तक मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज को ₹ 6,54,013/- लाख के बिलों का अनधिकृत भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार की गयी निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताएँ बरती गयी :-

- I. निविदा का मूल्य ₹ 50 लाख (आतिथि तक कुल भुगतान ₹ 72लाख) लाख से अधिक था परंतु इकाई द्वारा अभिरूचि के अभिव्यक्ति/प्रस्ताव (ईओआई /आरएफपी) के माध्यम से द्वि-निविदा प्रणाली (टू-बिड सिस्टम) नहीं अपनाया गया।
- II. मैसर्स शुभम पयाल तथा श्री अनिल नेगी द्वारा दी गयी निविदा तकनीकी अहर्ता पूरी नहीं कर पायी थी। परंतु तकनीकी निविदा के तुलनात्मक विवरण में इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी गयी न ही सभी सदस्यों के तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर थे। पुनः वित्तीय निविदा के तुलनात्मक विवरण में तकनीकी अहर्ता प्राप्त न होने वाली फर्म/व्यक्तियों को शामिल किया गया जबकि नियमानुसार उनकी वित्तीय निविदा वाले लिफाफे खोले ही नहीं जाने थे।
- III. वित्तीय निविदाओं के तुलनात्मक विवरण में किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं पाये गए जिससे स्पष्ट नहीं है कि **मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज** को निविदा समिति द्वारा L1 घोषित किया गया था।
- IV. नियमानुसार **मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज** की निविदा शून्य चार्जेज होने के कारण अयोग्य घोषित की जानी चाहिए थी तथा इस दशा में **मनोज रावत, रावत कांट्रैक्टर मैन पवार सर्विस** को L1 घोषित किया जाना चाहिए था । परंतु नियमों के विरुद्ध **मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज** को L1 घोषित कर ठेका प्रदान कर दिया गया ।
- V. इकाई द्वारा निविदादाताओं के लिए आवश्यक अहर्ता तथा पात्रता के मापदण्ड – जैसे न्यूनतम स्तर का अनुभव कितना है, विगत कार्यपूर्ति (परफॉर्मेंस), तकनीकी कार्यक्षमता, विनिर्माण की सुविधाएं, वित्तीय स्थिति आदि, जिनका निविदादाता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक होगा को निविदा प्रपत्र में शामिल नहीं किया गया । जिससे **मैसर्स केयर एलाइड सर्विसेज** द्वारा दी

गयी तकनीकी निविदा पास हो गई जबकि **फर्म 22.07.2019** को ही पंजीकृत की गयी थी तथा उसके पास कोई भी पूर्व अनुभव नहीं था तथा फर्म की वित्तीय हैसियत केवल ₹ 1.60 लाख थी जो इतनी अधिक कीमत की सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष काफी कम थी। ध्यान देने योग्य है कि फर्म का एक माह का बिल औसतन रूपए पाँच लाख का है ।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।



## भाग दो (ब)

### **प्रस्तर-01: नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किये जाने के कारण राजस्व की हानि।**

उत्तराखण्ड शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू0प्रौ0/2018 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में दूरसंचार कंपनियों द्वारा UttarakhandRightofWay, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। UttarakhandRightofWay, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रांतर्गत OpticalFibreCable बिछाने तथा मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

UttarakhandRightofWay, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, "Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one – time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District collector, which shall be revised in every 5 (five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed ` 10,000 per month.

Further, an amount of `` 5000/ (Rupees Five Thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure provides as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licenses shall pay `` 5000/ (Rupees Five Thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office".

कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार जनपद-पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को अपने क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं थी और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया था। इकाई द्वारा OpticalFibreCable बिछाने तथा रोड कटिंग हेतु आतिथि तक कोई अनुमति ठेकेदारों को प्रदान नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मोबाइल कम्पनियों के टावरों की गिनती का कोई सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक नहीं किया गया है, निकाय को मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुये है, वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान OpticalFibreCable बिछाने जाने हेतु कोई भी आवेदन नहीं आया है, OpticalFibreCable बिछाने तथा मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हेतु कोई भी उपविधि/गज़ट नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है, निगम की भूमि पर टावर स्थापित है या नहीं इस संबंध में कोई अभिलेख हरित नहीं है, टावर स्थापित किये जाने हेतु कोई अनुमति नहीं दी गयी है तथा टेलिकॉम कम्पनियों से मोबाइल टावर स्थापित किये जाने हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात कर अपनी आय बढ़ाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की कोई भी वसूली न किये जाने के कारण इकाई को राजस्व की हानि हो रही थी जिसकी वसूली की जाना अपेक्षित है।

अतः नगर निगम क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से किसी भी प्रकार के चार्जज न लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-02: 14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं ₹ 11.20 लाख की धनराशि से कराए गए निर्माण कार्य पर निष्फल व्यय।**

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमुक्त धनराशियों का उपयोग जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और शमशानो के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के 14वें वित्त आयोग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्यों में से एक कार्य:- **वृद्धाश्रम मार्ग कलालघाटी में श्री द्वारिका प्रसाद चौधरी के घर से सुरेन्द्र कण्डवाल जी के घर तक सी.सी.मार्ग का निर्माण कार्य** में ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध के बिन्दु संख्या एक 16, 17 एवं 20 एवं निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से जमानत जमा की धनराशि ठेकेदार के बिलों से की जाएगी एवं कराए गए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत होने एवं निर्माण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने की दशा में ठेकेदार स्वयं के व्यय से उस कार्य को पूर्ण करेगा ऐसा न करने के फलस्वरूप उसकी जमानत जमा जब्त कर ली जाएगी। साथ अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त कार्य को अन्य एजेन्सी से करवाया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के उक्त निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य के पूर्ण होने के पांच माह से भी कम समय व्यतीत होने के पूर्व ही संबंधित सी.सी. मार्ग कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं उखड़ गई थी जिसकी पुष्टि अवर अभियंता द्वारा भी की गई थी। संबंधित निर्माण कार्य के भुगतानित बिलों से जमानत जमा की धनराशि नहीं काटी गई थी, ऐसा न करने से क्षतिग्रस्त कार्य को पूर्ण करवाने में कठिनाई से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त कार्य के आगणन के अनुसार उक्त कार्य में Bricks work कराए जाने थे जो कि नहीं कराए गए थे तथा आगणन के साथ कार्य की रेखाचित्र (Drawing) भी नहीं लगाए गए थे जिस कारण कार्य की रूपरेखा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा थी। उक्त निर्माण कार्य के पूर्ण होने के चार महीने बाद ही मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण संपूर्ण व्ययित धनराशि ₹11.20 लाख निष्फल प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा में उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि क्षतिग्रस्त कार्य हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए हैं, जमानत जमा के संबंध में बताया कि भविष्य में जमानत राशि काटी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार जमानत राशि नहीं काटने के कारण ठेकेदार उक्त कार्य करने को मजबूर नहीं है साथ आगणन के अनुसार Bricks work नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, 14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं ₹ 11.20 लाख से कराए गए निर्माण कार्य पर निष्फल व्यय संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

### **प्रस्तर-03: रोड कटिंग से प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि मय अर्थदण्ड ₹ 2,25,320 सरकार को संदाय न किये जाने विषयक।**

माल एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 76 (1) के अनुसार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह पूर्ति, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा। धारा 122 (3) के अनुसार जहाँ कराधेय व्यक्ति जो कर के रूप में किसी कर का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन माह से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में कटौती किये गये परन्तु सरकार को संदेय न किये गये कर के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम परिधि क्षेत्र में अन्य विभागों/व्यक्तियों द्वारा सम्पादित कार्यों जैसे सीवर लाईन बिछाना, सीवर लाईन का व्यक्तिगत कनेक्सन आदि के निर्माण के दौरान निगम परिक्षेत्र की सडकों को क्षति पहुंचाये जाने पर निगम द्वारा निर्धारित दर से क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है।

नगर निगम, कोटद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम से रोड कटिंग की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि ₹ 10,95,822 की माँग की गयी जिसमें 12 प्रतिशत की दर से GST की धनराशि ₹ 1,06,735 का प्रावधान भी किया गया था। सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्पूर्ण धनराशि ₹ 10,95,822 कार्यालय में दिनांक 31.12.2019 को जमा करा दिया गया। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि ₹ 1,06,735 वर्तमान तक 13 माह व्यतीत होने के बाद भी सरकार के GST मद में जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम परिक्षेत्र में स्थानीय निवासियों द्वारा सीवर कनेक्सन के लिए व्यक्तिगत कनेक्सन एवं अन्य कार्यों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसमें सहायक अभियन्ता द्वारा आवेदन पत्र पर ही आगणन प्रस्तुत किया गया तथा धनराशि को रसीद के माध्यम से कार्यालय में जमा कराया गया। आवेदकों को अलग से कोई अनुमति पत्र प्रदान नहीं किया है। प्रस्तुत प्रत्येक आगणनों में GST की धनराशि का भी प्रावधान किया गया था। परन्तु सम्बन्धितों से वसूल की गयी GST की धनराशि वर्तमान तक सरकार को संदाय नहीं किया गया है तथा धनराशि निगम के बैंक खाते में जमा किया गया है। विवरण निम्नवत् है;

आवेदक का नाम व पता	आगणन प्रस्तुत करने का दिनांक	आगणन की धनराशि	सम्मिलित GST की धनराशि
उत्तराखण्ड जल संस्थान, क्षतिग्रस्त पाईपलाइन बिछाने	06.02.2020	1941	189
वृजेश पोखरियाल, पटेल मार्ग	10.02.2020	1456	141
जगदीश प्रसाद, कालाबढ	10.12.2019	583	56
नरेन्द्र सिंह, पनियाली तल्ली	23.11.2019	3236	315
तन्नु देबी, विकास नगर	05.11.2019	1068	104
कमल सिंह	04.11.2019	3236	315
साहिल राम भाटिया	04.11.2019	1456	141
मो0 कासिम, पटेल मार्ग	17.10.2019	2912	283
राजेश कुमार, रमेश नगर	11.10.2019	6552	638
रमन कुमार पाण्डेय, जौनपुर	15.10.2019	1036	100
सरिता भारद्वाज, कालाबढ	05.10.2019	663	64
रमेश, रामपडाव	19.09.2019	3640	354
रियाज अहमद, गाडीघाट	04.09.2019	1035	100
नारिक झूलाबस्ती	20.08.2019	2200	214
पूनम देबी, शिवपुर	08.08.2019	1796	174
पंकज बहुगुणा, स्टेशन रोड	16.03.2019	2330	226
रईद अहमद, आमपडाव	11.03.2019	1310	127
सुनिल सिंह, गोखले मार्ग		1941	189
विजय पाल सिंह, आमपडाव		1310	127
भारत मोहन कुकरेती, स्टेशन रोड	21.01.2019	4853	472
संजय खुराना, पटेल मार्ग		4547	442
नरेन्द्र सिंह, कालाबढ		2115	205

	राजश्री, सुमन मार्ग	19.05.2018	7382	702
	नैनीताल बैंक	15.05.2018	2337	247
	<b>कुल योग</b>		<b>60935</b>	<b>5925</b>

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रोड कटिंग क्षतिपूर्ति की धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि कार्यालय द्वारा निगम के बैंक खाते में जमा किया गया था जिसे वर्तमान तक सरकार को संदाय नहीं किया गया है। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों प्रकरणों में धनराशि ₹ 1,12,660 (₹ 1,06,735+ ₹ 5,925) वसूल किये जाने से 08 से 31 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी वर्तमान तक सरकार को संदाय नहीं किया गया। अतः माल एवं सेवा अधिनियम 2017 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार GST के रूप में वसूल की गयी धनराशि को 03 माह तक सरकार को संदाय न किये गये धनराशियों के समतुल्य धनराशि अर्धदण्ड के रूप में सरकार को संदाय किया जाएगा। अतः कुल धनराशि ₹ 2,25,320 (₹ 1,12,660+ ₹ 1,12,660) सरकार को संदाय किया जाना लेखापरीक्षा को अपेक्षित रहेगा।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि त्रुटिवश प्राप्त धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि को उपयुक्त मद में जमा नहीं कराया जा सका जिसे शीघ्र ही जमा करा दिया जायेगा।

अतः रोड कटिंग से प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि मय अर्धदण्ड ₹ 2,25,320 सरकार को संदाय न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-04: नई अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने के 15 वर्ष बाद भी योजना से आच्छादित कर्मचारियों को योजना के लाभ से वंचित रखना।**

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)/अ.पे.यो./2005 दिनांकित 25 अक्टूबर 2005 के बिन्दु संख्या (i) के अनुसार "राज्य सरकार में और ऊपर उल्लेखित ( ) राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/ राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं में समस्त नयी भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी"। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या (ii) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि " नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी संस्था द्वारा किया जाएगा"

उत्तराखंड शासन पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 169/42/XXVII(10)/2016/ 2019 दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी कि 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा।

नगर निगम कोटद्वार के वेतन बिलों व नई अंशदायी पेंशन योजना के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के समस्त कर्मचारी जो नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित थे (सूची संलग्न), के वेतन से न तो अंशदान काटा जा रहा था न ही नियोक्ता का अंशदान दिया जा रहा था। इकाई के अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किसी भी कर्मचारी को अतिथि (01/2021) तक PRAN भी आवंटित नहीं थे।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अपने उत्तर में बताया कि मानव संसाधन व शासनादेशों की कमी व जानकारी के अभाव में अनुपालन नहीं किया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नई अंशदायी पेंशन योजना को राज्य में लागू हुए 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और योजना से आच्छादित कर्मचारियों को उतरोत्तर वित्तीय हानि हो रही है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**नगर निगम कोटद्वार के नयी अंशदायी पेंशन योजना से  
आच्छादित अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
01	सुश्री अंकिता जोशी	सहायक नगर आयुक्त	
02	श्री विनोद	पर्यावरण मित्र	26.09.2007
03	श्री रणजीत	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
04	श्री सुमेश	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
05	श्री कुलदीप	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
06	श्री धीरज	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
07	श्री मदन	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
08	श्री वीरेंद्र	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
09	श्री राकेश	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
10	श्री धीरज	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
11	श्री मनीष	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
12	श्रीमती कविता	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
13	श्री राज	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
14	श्री राकेश	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
15	श्री दिनेश	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
16	श्रीमती शशी	पर्यावरण मित्र	27.09.2007
17	श्रीमती ज्वाला	पर्यावरण मित्र	28.09.2007
18	श्री रवि	पर्यावरण मित्र	28.09.2007
19	श्री मुकेश	पर्यावरण मित्र	08.05.2012
20	श्री खेमसिंह	पर्यावरण मित्र	08.06.2015
21	श्री अरविंद	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
22	श्री अजय	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
23	श्री अंकुश	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
24	श्री राजन	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
25	श्री मुकेश	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
26	श्री कुमेश	पर्यावरण मित्र	12.03.2015
27	श्रीमती रीना	पर्यावरण मित्र	26.11.2015
28	श्री रणजीत	पर्यावरण मित्र	26.11.2016
29	श्री रवि	पर्यावरण मित्र	21.06.2016
30	श्रीमती चार्ल	पर्यावरण मित्र	01.06.2016
31	श्रीमती रचि	पर्यावरण मित्र	31.05.2016
32	श्री मनोज	पर्यावरण मित्र	14.09.2016
33	श्रीमती सविता	पर्यावरण मित्र	10.04.2016
34	श्री पुष्कर सिंह नेगी	लाइनमेन	08.06.2015
35	सुनील कुमार	सफाई निरक्षक	14.08.2015

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-05: केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के सापेक्ष धनराशि ₹ 32.06 लाख गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किया जाना।**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देश दिनांक 08 अक्टूबर 2015 के नियम 07 के अनुसार केन्द्रीय अनुदान के अन्तर्गत प्रदान किए गये धनराशि का उपयोग जल आपूर्ति, सडक प्रकाश व्यवस्था आदि सेवाओं सहित बुनियादी और नागरिक सुविधाओं के वितरण को समर्थन एवं मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम कोटद्वार के 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किये व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा गैर अनुमन्य मदों पर जैसे विद्युत देयकों के भुगतान पर व्यय किया गया था जो कि योजनान्तर्गत व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं था। इस प्रकार से निम्न विवरणानुसार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में धनराशि ₹ 32,06,367 का व्यय विभिन्न विद्युत देयकों के भुगतान पर किया गया था। विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	मद	भुगतान माह	भुगतानित धनराशि
1	10 विद्युत कनेक्शन बिल	10/2018	1,65,000
2	आडिटोरियम विद्युत बिल	07/2019	85,073
3	स्ट्रीट लाईट विद्युत बिल	07/2019	29,56,294
	<b>कुल योग</b>		<b>32,06,367</b>

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में केन्द्रीय अनुदान से विद्युत देयकों का भुगतान किया गया जबकि अन्य सभी माहों में विद्युत देयकों का भुगतान राज्य वित्त आयोग एवं बोर्ड फण्ड से भुगतान किया जाता है।

अतः केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के सापेक्ष धनराशि ₹ 32.06 लाख गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।



## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-06: विभिन्न आय मदों के अंतर्गत धनराशि ` 41.18 लाख के करो की लंबित वसूलियाँ।**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम - 1916 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) के अध्याय - 5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करेगी, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके। शासन के पत्रांक -760/श0वि0नि0 -1213/आधी0नि0-2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि **निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये ।**

नगर निगम, कोटद्वार जनपद- पौड़ी के गृहकर तथा भवन/दुकान किराये से संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 में **संलग्नक - अ** के अनुसार गृहकर एवं भवन/दुकान किराए मद से वसूली की गयी। **संलग्नक - अ** से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ती पर उक्त मदों की कुल बकाया धनराशि `27.34 लाख की वसूली की जानी अवशेष थी । आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा गृहकर मद में 67% से 55%, तथा भवन/दुकान किराया मद में 85% से 64% की वसूली की गयी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त तहबजारी वर्ष 2019-20 की समाप्ती तक धनराशि ` 13.74 लाख की वसूली बकाया थी तथा वसूली की दर प्रत्येक वर्ष कम होती जा रही है अर्थात् 39% से 23% तक कम हुई थी । इसी प्रकार गृहकर एवं भवन/दुकानों की वसूली में भी प्रत्येक वर्ष वसूली में कमी आयी है जिससे निगम के राजस्व में कमी आयी है। जिस कारण नगर निगम को नुकसान होने से मना नहीं किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि गृहकर तथा भवन/दुकान के करों की वसूली मानव संसाधनों की कमी के कारण नहीं हो पायी तथा लंबित वसूली हेतु आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वसूली में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कमी आयी है जिस कारण निगम की आय में वृद्धि की वजह कमी आयी है।

अतः इकाई द्वारा विभिन्न आय मदों के अंतर्गत ` **41.18 लाख** के करो की लंबित वसूलियों का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 'अ'

नगर निगम, कोटद्वार जनपद -पौड़ी के अंतर्गत वसूले जाने वाले गृहकर का विवरण  
धनराशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली प्रतिशत	अवशेष
2017-18	809885	2458962	3268847	2175909(67%)	1092938
2018-19	1092938	2463400	3556338	1955184(55%)	1601154
2019-20	1601154	2464915	4066069	2244674(55%)	1821395

नगर निगम, कोटद्वार जनपद - पौड़ी की परिसंपतियों (भवनों/दुकानों से किराये की वसूली का विवरण)

धनराशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली प्रतिशत	अवशेष
2017-18	323606	1863366	2186972	1862536(85%)	324436
2018-19	324436	1908001	2232437	1774530(79%)	457907
2019-20	457907	2054075	2511982	1598972(64%)	913010

नगर निगम, कोटद्वार जनपद - पौड़ी के अंतर्गत वसूली जाने वाली तहबजारी का विवरण

धनराशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली प्रतिशत	अवशेष
2017-18	500000	00	500000	194000(39%)	306000
2018-19	306000	971500	1277500	316000(25%)	971500
2019-20	971500	805000	1776500	402500(23%)	1374000

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-07: स्लाटर हाउस के निर्माण एवं सामग्री क्रय पर धनराशि ₹ 16.23 लाख व्यय करने के उपरान्त भी वर्तमान तक स्लाटर हाउस का संचालन नहीं किया जाना।**

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (स्लाटर हाउस) नियमावली, 2001 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर पालिका क्षेत्र के बूचडखानों को छोड़कर किसी भी जानवर का वध नहीं करेगा। पशु चिकित्सक सभी जानवरों की जाँच करेगा और वध करने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा। स्लाटर हाउस में जल निकासी के लिए उपयुक्त ढाल होगा, पर्याप्त दबाव के साथ ताजे पानी की पर्याप्त जल आपूर्ति, पर्याप्त प्रकाश, निन्दनीय सामग्री के लिए निपटान की सुविधा और पशुओं के लोडिंग/अनलोडिंग के लिए 06 मीटर तक की सड़क सुविधा होनी चाहिए। भवन के वर्किंग रूम के छत 05 मीटर या उससे अधिक की होगी और जहाँ तक संरचना की स्थिति के अनुसार छत चिकनी और सपाट होनी चाहिए।

कार्यालय नगर निगम कोटद्वार के स्लाटर हाउस के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नगर निगम के गठन अप्रैल 2018 की सीमा विस्तार के उपरान्त निगम का क्षेत्रफल लगभग 52 वर्ग किमी हैं। सहायक नगर आयुक्त द्वारा स्लाटर हाउस के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम परिक्षेत्र में 72 मॉस की दुकानों बिना मानकों के संचालित है, ऐसी स्थिति को देखते हुए स्लाटर हाउस का संचालन अति आवश्यक हो जाता है। उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्लाटर हाउस के संचालन के लिए अपने पत्र दिनांक 25.06.2020 को कन्सेन्ट टू ऑपरेट (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के लिए कार्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु वर्तमान तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया। स्लाटर हाउस के निर्माण तथा अन्य साजो सामान क्रय पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान कुल धनराशि ₹ 16.23 लाख का व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार से नगर निगम के अन्तर्गत निर्मित स्लाटर हाउस का संचालन वर्तमान तक नहीं हुआ है जबकि इसके निर्माण तथा विभिन्न सामग्रियों जैसे गीजर, डीप फ्रीजर आदि के क्रय पर धनराशि ₹ 16.23 लाख का निरर्थक व्यय किया जा चुका है। यह भी पाया गया कि डीप फ्रीजर, गीजर आदि के लिए कोई वारंटी अवधि भी निर्धारित नहीं है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्लाटर हाउस संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

अतः स्लाटर हाउस के निर्माण एवं सामग्री क्रय पर धनराशि ₹ 16.23 लाख व्यय करने के उपरान्त भी वर्तमान तक स्लाटर हाउस का संचालन नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-08: उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के विपरीत ठेकेदारों से किए गए ₹ 455.52 लाख के निर्माण कार्यों के अनुबंधों से जमानत राशि नहीं काटना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय 1 के बिन्दु संख्या 17 के नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु किए गए निविदा उपरांत प्रत्येक सफल निविदादाता से कार्यपुर्ति प्रतिभूति (धरोहर), संविदा के मूल्य की 10 प्रतिशत ली जाएगी। साथ ही कार्यपुर्ति धरोहर निविदादाताओं के संविदा से संबंधित सभी दायित्वों को, जिनमें वारंटी संबंधी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि पूरी करने के दिवस से 60 दिन बाद तक वैद्य होना आवश्यक है।

कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के निर्माण कार्यों (केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि इत्यादि) से संबंधित अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों हेतु गठित किए जा रहे अनुबंधों के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार जमानत राशि निविदादाता के बिलों से काटी जाएगी एवं बिन्दु संख्या 20 के अनुसार संबंधित ठेकेदार निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन साल की अवधि तक अनुरक्षण अपने व्यय से करेगा। आगे निर्माण कार्यों से संबंधित भुगतानित बिलों एवं अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निगम द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 76 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 455.52 लाख (289.15+166.37) की धनराशि स्वीकृत किए गए थे जिसके सापेक्ष किए जा रहे बिलों के भुगतानों से नियमानुसार जमानत की धनराशि नहीं काटी जा रही थी। जमानत की धनराशि नहीं काटने से निर्माण कार्यों में तीन वर्ष तक किसी भी प्रकार के त्रुटि या क्षतिपूर्ति हेतु ठेकेदार का दायित्व ही नहीं बनता। ठेकेदार से अनुबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार जमानत राशि काटी गई होती तो वह त्रुटिपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध रहता।

लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों से नियमानुसार जमानत राशि नहीं काटने के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में सभी निर्माण कार्यों से जमानत राशि काटी जाएगी एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत संपूर्ण भुगतान कर दिया गया था। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जमानत राशि नहीं काटने से निर्माण कार्यों के क्षतिग्रस्त या खराब होने की दशा में उसे संबंधित ठेकेदार द्वारा ठीक नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि उसकी जमानत राशि नहीं काटने के कारण उसकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के विपरीत ठेकेदारों से किए गए ₹ 455.52 लाख के निर्माण कार्यों के अनुबंधों से जमानत राशि नहीं काटने से संबंधित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-09: द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान न किये जाने के कारण कर्मचारी की पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों का कम भुगतान किया जाना ।**

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 371/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांकित 16 जनवरी 2013 द्वारा लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान का संसोधन किया गया था जिसके अनुसार प्रधान सहायक देय वेतन बैंड एवं ग्रेड पे क्रमशः ₹ 9300-34800 एवं ₹ 4200/-थी।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक -/XXVII(7)27(20)/2013 दिनांकित 22 अगस्त 2014 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. की लागू पूर्व व्यवस्था के स्थान पर ₹ 4800/- ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है वहाँ पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैंड व्यक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया गया है। प्रमुख सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्रांक /IV(1)/5(आ°)/2001 दिनांक 12 नवम्बर 2013 के अनुसार क्रमशः 10, 16 एवं 26 वर्ष के अनवरत एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्थानीय निकायों के कार्मिकों हेतु अनुमन्य कर दिया गया था।

**श्रीमती उमा जोशी, लिपिक** की पेंशन संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर्मचारी की नियुक्ति तिथि (लिपिक पद पर) 13 अगस्त 1993 थी। उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में कर्मचारी को 16 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण करने के बाद 13 अगस्त 2009 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय था जो 16 जनवरी 2013 से उल्लेखित शासनादेश के अंतर्गत **वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200/-था** । परंतु जांच में पाया गया कि कर्मचारी को उक्त लाभ नहीं प्रदान किया गया था जिसके न्यायोचित होने संबंधी कोई अभिलेख पत्रवालियों में नहीं पाया गया । द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान न किए जाने के कारण 30.06.2019 को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों (यथा सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नकदीकरण तथा देय सेवानिवृत्ति पेंशन ) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-10: अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत धनराशि आवंटन के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी ₹ 57.71 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या /IV(2)-श.वि.-2018-22(सा.) 17 दिनांक 22.03.2018 द्वारा नगर निगम कोटद्वार को **अवस्थापना विकास निधि** के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु हेतु ₹ 167.38 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध कराई गई थी:-

- (i) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की **Duplicacy** की स्थिति में संबंधित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ii) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (iii) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किए जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जाएगी।
- (iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण एवं इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा।

कार्यालय **नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** के स्वीकृत निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत 39 निर्माण कार्यों के सापेक्ष ₹ 167.38 लाख स्वीकृत किए गए थे, उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 132.73 लाख की अनुबंध किए गए थे जिसके सापेक्ष ₹ 113.14 लाख का अघतन व्यय किया गया था। उक्त 39 निर्माण कार्यों में से 6 निर्माण कार्यों का स्थान परिवर्तन एवं अन्य कारणों से धनराशि का व्यय नहीं किया गया था। आगे, जांच के दौरान पाया गया कि उक्त योजना में धनराशि आवंटन के लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी ₹ 57.71 लाख की धनराशि अवशेष थी। जबकि शासनादेशानुसार मार्च 2018 तक धनराशि का पूर्ण उपयोग कर अवशेष धनराशि को वित्तीय विवरण सहित शासन को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि उक्त योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किए गए हैं एवं अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र शासन/निदेशालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना में आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अवशेष धनराशि को मार्च 2018 तक प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत धनराशि आवंटन के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी ₹ 57.71 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहने से संबंधित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-11: निर्माण कार्यों से काटी गयी रायल्टी के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि `1.11 लाख को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना ।**

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बाजरी,बोल्डर,सोपस्टोन,सिलिकासैंड आदि पर खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

नगर निगाम, कोटद्वार जनपद-पौड़ी के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यों से काटी गयी रायल्टी के लेखा - अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष चालानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गयी धनराशि **442821/-** को रायल्टी रूप राजकोष में जमा कराई गई थी। जिसका विवरण निम्न है:

(धनराशि ₹ में)

क्रम	चालान /दिनांक	रायल्टी की धनराशि	25% धनराशि जो काटी जानी
1.	08.01.2020	7763	1941
2.	08.01.2020	1133	283
3.	08.01.2020	4449	1112
4.	07.01.2020	8020	2005
5.	07.01.2020	7683	1921
6.	07.01.2020	12595	3149
7.	07.01.2020	6360	1590
8.	07.01.2020	19630	4908
9.	21.11.2018	1850	463
10.	21.11.2018	2676	669
11.	01.12.2018	11279	2932
12.	03.12.2018	2599	640
13.	03.12.2018	19750	4938
14.	03.12.2018	17129	4282
15.	03.12.2018	12000	3000
16.	05.12.2018	20900	5225
17.	05.12.2018	3169	792
18.	05.12.2018	3725	931
19.	05.12.2018	3735	934
20.	01.12.2018	14689	3672
21.	01.12.2018	8631	2158
22.	01.12.2018	3165	791
23.	01.12.2018	12200	3050

24.	13.12.2018	8650	2163
25.	01.12.2018	18768	4692
26.	12.09.2018	24112	6028
27.	12.09.2018	20624	5156
28.	12.09.2018	23973	5993
29.	12.09.2018	17588	4397
30.	12.09.2018	9115	2279
31.	12.09.2018	20624	5156
32.	12.09.2018	16050	4013
33.	12.09.2018	20738	5185
34.	12.09.2018	13900	3475
35.	12.09.2018	14000	3500
36.	29.05.2018	10741	2685
37.	17.05.2018	8899	2225
38.	17.05.2018	6302	1576
39.	25.05.2018	1939	485
40.	25.05.2018	1668	417
	<b>कुल योग</b>	<b>442821</b>	<b>110811</b>

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी के सापेक्ष जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि अंशदान हेतु रायल्टी का 25 प्रतिशत की धनराशि ` **110811/-**को संबन्धित निर्माण कार्यो से कटौती करके जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी। परंतु उक्त धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं कराई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में कटौती नहीं कि जा सकी। तथा धनराशि की वसूली कर जमा करा दी जायेगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि यह आदेश 17.11.2017 से है जोकि 12.01.2015 प्रवृत्त माना गया था।

अतः इकाई द्वारा ` **1.11 लाख** की धनराशि रायल्टी के सापेक्ष 25 प्रतिशत की कटौती नही जाने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।



## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-12: शासनादेशों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति किया जाना ।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 1803/कार्मिक-2/2002 दिनांक 06 फरवरी 2003 के प्रस्तर संख्या 2(i) के अनुसार " श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के किसी भी पद पर दैनिक वेतन/ तदर्थ/ संविदा/ नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा"। इसके अतिरिक्त प्रस्तर संख्या 2(iv) के अनुसार "जिन नियुक्ति प्राधिकारियों / आहारण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उलंघन करके अनियमित नियुक्तियाँ की जाएंगी, उनके विरुद्ध अनियमित नियुक्तियाँ करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और अनियमित नियुक्त कर्मियों के वेतन/ भत्तों पर किए गए व्यय को उनसे वसूला जाएगा । "

इकाई के वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा 11 कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति दी गयी है। इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
01	श्री अखिलेश खंडूरी	अवर अभियंता	---
02	श्री विनय पँवार	लिपिक	02.04.2012
03	श्रीमती सुरभि	लिपिक	15.07.2013
04	श्री रणजीत सिंह	लिपिक	10.09.2013
05	श्री संदीप कुमार	अनुसेवक	20.09.2013
06	श्री अरशद	अनुसेवक	20.09.2013
07	श्री शहजाद	हेल्पर	20.09.2013
08	श्री आशु	हेल्पर	20.09.2013
09	श्री छत्रपाल	वाहन चालक	2010
10	श्री राजेश कुमार	वाहन चालक	02.04.2012
11	श्री मुकेश कुकरेती	वाहन चालक	March 2015

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में नियुक्तियाँ की गयीं। इकाई का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि शासनादेश वर्ष 2003 से लागू था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-13:** स्टेनिंग मशीन के ₹ 503830/- से क्रय में अनियमितता बरता जाना, आपूर्तिकर्ता को ₹ 76800/- माल एवं सेवा कर (GST) का अतिरिक्त भुगतान किया जाना तथा धरोहर राशि (न्यूनतम ₹ 25000/-) न लिया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार :-

**नियम 3(4)-** अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिए जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गयी विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो। **नियम 13(2) दो निविदाओं वाले प्रणाली :-** जटिल एवं तकनीक प्रकृति के महंगे उपस्कर, मशीनों आदि की अधिप्राप्ति हेतु निविदाएँ दो भागों में आमंत्रित की जा सकती हैं। **नियम 17-कार्यपूर्ति प्रतिभूति** – (1) संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में संविदा दी गयी हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल निविदादाता से, उनके पंजीकरण की प्राप्ति आदि पर ध्यान दिये बगैर, ली जाएगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

नगर निगम कोटद्वार के स्लाटर हाउस हेतु स्टेनिंग डिवाइस के क्रय संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **नगर निगम** द्वारा **दिनांक 04.12.2019** को उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु **एकल निविदा** आमंत्रित की गयी थी जिसके प्रतिउत्तर में तीन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निविदा भेजी गयी जिन्हें धरोहर राशि जमा न किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया । **दिनांक 11.12.2019** को पुनः एकल निविदा आमंत्रित की गयी जिसके प्रतिउत्तर में तीन निविदाएँ प्राप्त हुईं जिनमें से **मेसर्स सादाब कोंट्रेक्टर की निविदा ₹ 4,24,000/-न्यूनतम (L1)** होने के कारण स्वीकार कर ली गयी। इकाई द्वारा बिल संख्या 001 दिनांक 06.01.2020 के सापेक्ष भुगतान कर दिया गया।

उक्त क्रय से जुड़े अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:-

- (1) मेसर्स सादाब कोंट्रेक्टर की निविदा ₹ 4,24,000/- दी गयी थी जिसमें अतिरिक्त जीएसटी का कोई उल्लेख नहीं था परंतु इकाई को प्रस्तुत बिल में 18 प्रतिशत जीएसटी सहित ₹ 503860/- (**₹ 76800/- अधिक**) की मांग की गयी जिसका भुगतान इकाई द्वारा कर दिया गया।
- (2) उपस्कर तकनीकी प्रकृति का था परंतु इकाई द्वारा प्रथम निविदा में तकनीकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं था। द्वितीय निविदा आमंत्रण के समय जिन विशिष्टताओं को सम्मिलित किया गया वे विशिष्टतायें प्रथम निविदा आमंत्रण के सापेक्ष प्राप्त US Infotech द्वारा भेजी गयी निविदा से ली गयी थी । जिसका मूल्य ₹ 4,57,639/- (मय जीएसटी)था। जिससे स्पष्ट था कि इकाई द्वारा मांग/ तकनीकी विशिष्टताओं का निर्धारण किए बिना ही निविदाएँ आमंत्रित कर दी गयी थी तथा बाजार में उपलब्ध मूल्य से अधिक देकर अधिप्राप्ति कर ली गयी थी।
- (3) क्योंकि क्रय किया गया उपस्कर तकनीकी प्रकृति का था इकाई द्वारा उपस्कर के अनुरक्षण हेतु कोई अनुबंध विक्रेता से नहीं किया गया न ही वारंटी से संबन्धित कोई अभिलेख पत्रवालयों में पाये गए थे।

- (6) इकाई द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ वारंटी व भविष्य में अनुरक्षण संबंधी अनुबंध नहीं किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि के रूप में FDR पत्रवालिओं में नहीं पायी गयी। न ही कोई कार्यपूर्ति धरोहर (न्यूनतम ₹ 25000/-) आपूर्तिकर्ता से ली गयी थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अतिरिक्त भुगतानित माल एवं सेवा कर (GST) व कार्यपूर्ति धरोहर की वसूली आपूर्तिकर्ता से कर ली जाएगी तथा वारंटी पत्र प्राप्त कर लिये जाएंगे ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग दो (ब)

### प्रस्तर-14: बिना भूमि हस्तान्तरण के धनराशि ₹ 74.79 लाख से निर्मित होने वाले गौ सदन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 6 के नियम 378 के अनुसार किसी भी कार्य को तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि भूमि जिम्मेदार नागरिक अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से इकाई के नाम से हस्तान्तरित नहीं हो जाता।

सविव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 896/xxvii(1)/2019 दिनांक 15 नवम्बर 2019 के माध्यम से चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के दृष्टिगत आवारा पशुओं हेतु अवस्थापना निर्माण के अन्तर्गत नगर निगम कोटद्वार को एक गौ सदन निर्माण के लिए प्रस्तुत आगणन पर धनराशि ₹ 74.79 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, साथ ही प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹ 29.92 लाख अवमुक्त की गयी। शासनादेश की शर्तों के अनुसार यदि निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय होता है तो इसका वहन सम्बन्धित निकाय स्वयं करेगा। गौ सदन में संरक्षित किये जाने वाले पशुओं के लिए चारा, पानी, चिकित्सक, देख-रेख हेतु आवश्यक स्टाफ के मानदेय आदि की व्यवस्था नियमानुसार सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वयं की जाएगी। प्रथम किस्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यों की प्रगति उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जायेगी। अतः आवश्यक होगा कि आयोग की अवार्ड अवधि के अन्तर्गत की निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाय। यदि अवार्ड अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य शेष रह जाता है तो इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी, जिसके लिए संबन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

नगर निगम, कोटद्वार के गौ सदन निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य के लिए दिनांक 28.12.2019 को ई निविदा आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 29.01.2020 को निविदा खोली गयी। न्यूनतम निविदित धनराशि ₹ 64.85 लाख में निर्माण कार्य आवंटित की गयी तथा दिनांक 06.02.2020 को ठेकेदार के साथ अनुबन्ध गठित कर उसी दिन कार्यदिश जारी किया गया। निविदा अभिलेखों के अनुसार निर्माण की अवधि 6 माह थी। आगे अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 21 मई 2020 के द्वारा निर्माण कार्य के लिए संदर्भित भूमि इकाई के नाम से हस्तान्तरण नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित भूमि पर अस्थायी निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि यदि शासन स्तर से भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी स्वीकृति का प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाता है तो यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के लिए संदर्भित भूमि इकाई के नाम से वर्तमान तक हस्तान्तरण नहीं किया गया है फिर भी उक्त भूमि पर निर्माण कार्य के लिए शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदिश जारी करना वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपरोक्त प्रावधानों का उलंघन है। कार्यदिश जारी होने के उपरान्त 9 माह व्यतीत होने के बाद भी कार्य की प्रगति वर्तमान में 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है जिसके भुगतान की कार्य वाही गतिमान है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भूमि हस्तान्तरण नहीं होने के कारण कार्य समय से प्रारम्भ नहीं हो सका तथा वर्तमान में 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसके भुगतान की कार्यवाही गतिमान है। यह भी अवगत कराया कि मार्च 2021 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। बिना भूमि हस्तान्तरण के कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं प्रदान किया गया।

अतः बिना भूमि हस्तान्तरण के धनराशि ₹ 74.79 लाख से निर्मित होने वाले गोसदन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-15: नगर निगम परिक्षेत्र में स्थापित विधुत देयकों के भुगतान में विलम्ब के कारण देयकों के साथ Surcharge for Late Payment की धनराशि ₹ 1.65 लाख का अनावश्यक व्यय ।**

नगर निगम, कोटद्वार के अंतर्गत विभिन्न स्थानों तथा सडको एवं गलियों में स्थापित स्ट्रीट लाइटों के लिये स्थापित विधुत संयोजन का रख रखाव एवं उनके विधुत देयकों का भुगतान किया जाना था। विधुत देयकों के भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा स्ट्रीट लाइट के कुल 38 विधुत संयोजनों के विधुत देयकों के भुगतान LatePaymentSurchargeसहित किया गया था जिस कारण देयकों की धनराशि सामान्य से अधिक भुगतान की गयी थी ।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्डकी संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त स्थानीय निकायों को उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पथ -प्रकाश एवं जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान पर किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों के देयक के साथ सम्मिलित Late Payment Surcharge के भुगतान का विवरण निम्नवत है:

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	प्रस्तुत देयक का भुगतान माह	विधुत देयक की कुल धनराशि	देयक के सापेक्ष Late Payment Surcharge
1.	07/2018 से 05/2019	2956294	136965
7.	07/2019 से 12/2019	1248042	11428
9.	02/2020 से 03/2020	432711	16162
	<b>योग</b>	<b>4637047</b>	<b>164555</b>

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट के विधुत संयोजनों के सापेक्ष विधुत विभाग के अधिशासी अभियंता, विधुत वितरण खण्ड कोटद्वार द्वारा 38 संयोजन के विधुत देयक का प्रत्येक माह नियमित रूप से भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये थे, परंतु कार्यालय द्वारा देयकों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। निगम द्वारा विधुत देयक का भुगतान के साथ Late Payment Surcharge की धनराशि ₹164555/- का अनावश्यक भुगतान किया गया था। यदि विधुत देयको का भुगतान नियमित रूप से समयानुसार किया गया होता तो इस प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था और इस धनराशि को अन्य विकास कार्यों पर व्यय किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों स्वीकारते हुए विधुत देयकों के भुगतान समय से न किए जाने पर बताया कि वर्तमान में भुगतान सुचारु रूप से किया जा रहा है। एवं देयकों का भुगतान दिसंबर 2020 तक किया जा चुका है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विधुत बीजक का भुगतान समय से नहीं किया गया था जिस कारण धनराशि ₹ 164555/ का अधिक भुगतान किया गया ।

अतः नगर निगम परिक्षेत्र में स्थापित विधुत संयोजन के देयकों के भुगतान समय से न किए जाने के कारण Surcharge for late payment की धनराशि ₹ **1.65 लाख** का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-16: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अर्जित ब्याज की धनराशि ` 8.71 लाख को राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कराया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 16/xxvii (14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के अनुसार विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज की धनराशि को 15 मई 2017 तक राजकोष के लेखाशीर्ष 0049-ब्याज प्राप्तियाँ – 04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जाना था।

नगर निगम, कोटद्वार जनपद – पौड़ी द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु संचालित बैंक खातों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक विभिन्न योजनाओं से धनराशि ` **870509/-** ब्याज के रूप में अर्जित की गयी थी जिसका विवरण निम्नांकित है:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	खाता संख्या	वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अर्जित ब्याज
1.	स्वच्छ भारत मिशन	916010078701556	277023
2.	मुख्यमंत्री घोषणा	916010038308757	30602
3.	संसद निधि	50009205509	2433
4.	विधायक निधि	121010400033017	142263
5.	अवस्थापना निधि	121010400034130	347934
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना	50100218639524	70254
		<b>योग</b>	<b>870509</b>

आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त ब्याज की धनराशि विगत कई वर्षों से निगम के खातों में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ब्याज की धनराशि विगत वर्षों से इकाई के विभिन्न खातों में पड़ी हुई थी।

अतः विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अर्जित ब्याज की धनराशि ` **8.71** लाख को संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-17:** विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 9.00 करोड़ की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या: 311/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 12 अप्रैल 2019, 459/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 1 जुलाई 2019, 700/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 12 सितंबर 2019, 896/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 15 नवम्बर 2019 एवं 896/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 23 दिसम्बर 2019 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत, संख्या: /IV(2)-श.वि.-2018-22(सा.)17 दिनांक 22 मार्च 2018 द्वारा अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत, पत्रांक संख्या: 396/205/SUDA/SBM/2017-18 दिनांक 29 जून 2018, संख्या:1273/203/SUDA/SBM/2017-18 दिनांक 02 जुलाई 2019, संख्या: 2229/203/SUDA/SBM/2017-18 दिनांक 28 अगस्त 2019 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत तथा पत्रांक संख्या: मेमो/26/एच.एफ.ए./पी.एम.ए.वाई./2016-17 दिनांक 19 नवम्बर 2019 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यालय नगर निगम कोटद्वार को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निम्नलिखित मदों में धनराशि अवमुक्त किए गए थे:-

(धनराशि ₹ में)

<b>वित्तीय वर्ष 2018-19</b>		
<b>क्रम संख्या</b>	<b>योजना का नाम</b>	<b>प्राप्त धनराशि</b>
1	राज्य वित्त योजना	91704000
2	अवस्थापना विकास निधि	16738000
3	स्वच्छ भारत मिशन	200000
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	4620000
5	विधायक निधि	2355000
<b>योग</b>		<b>115617000</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2019-20</b>		
1	राज्य वित्त योजना	92873000
2	स्वच्छ भारत मिशन	8085375
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	924000
<b>योग</b>		<b>101882375</b>
<b>कुल योग (2018-19+2019-20)</b>		<b>217499375</b>

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों के लेखा-अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया की उक्त प्राप्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय को मार्च 2019 एवं मार्च 2020 तक प्रेषित कर दिये जाने चाहिए थे परंतु, इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त सभी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय को प्रेषित नहीं किए गए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल ने बताया कि उक्त योजनाओं में प्राप्त ₹ 21.75 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 12.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिए गए थे शेष ₹ 9.00 करोड़ की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित कर दिए जाएंगे। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय को प्रेषित कर दिए जाने चाहिए थे।

इस प्रकार, विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 9.00 करोड़ की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर-18: अनुबंधों/करार पर स्टम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न किये जाने के कारण ` 16.95 लाख की राजस्व की हानि।**

भारतीय स्टॉप अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवं अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल संपत्ति को स्थानांतरण आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बंध में अपर महानिरीक्षक निबंधक उत्तराखंड, देहारादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म0नि0नि0/2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ठेकों पर ठेकों कि सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। इसी सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबंध स्टाम्प कि धारा (2) (16) के अंतर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा -17 के अनुसार अचल संपत्ति से संबन्धित सभी ठेकों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन,वित्तअनुभाग-9केपत्रांक संख्या 69/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2010 दिनांकित 08 अगस्त 2017 के द्वारा सभी विभागों को अनिवार्य रूप से ठेकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आदेश जारी किये थे। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता का प्रदर्शन करेगा तो शासकीय राजस्व की हानि के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही कि जायेगी।

उत्तराखंड शासन के स्टॉप एवं पंजीयन विभाग के आदेशानुसारअचल संपत्ति को तीस वर्ष से अधिक अवधि हेतु लीज/अनुबंध/करार पर दिये जाने पर 5% का स्टॉप शुल्क तथा 2% पंजीयन फीस ली जानी थी जो की सरकार का राजस्व होता। जांच में पाया गया कि निगम द्वारा असीमित अवधि के लिए जो दुकाने आवंटित की गयी है उस पर कम स्टॉप शुल्क वसूला गया था, तथा पंजीयन फीस नहीं ली गयी थी ।

कार्यालय नगर निगम,कोटद्वार, जनपद-पौड़ी द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत दुकानों को करार पर दी गयी थी,जिस हेतु आबंटित दूकानदारों से प्रीमियम की धनराशि वसूल की गयी परंतु वसूली गयी धनराशि पर स्टॉप शुल्क ज्यूटी तथा पंजीयन शुल्क नहीं लिया गया है जिस कारण से सरकार को राजस्व की हानि हुई है। ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों (दुकान)के अनुबंधों की पत्रवालियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की वसूली नहीं की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	दुकानदार का नाम सर्व श्री/श्रीमती	दुकान संख्या	अनुबंध की तिथि	प्रीमियम की धनराशि	स्टाम्प शुल्क @5%	पंजीयन फीस 2% अधिकतम 25000/	लिया गया शुल्क की धनराशि	धनराशि जो नहीं ली गयी
1.	नरेश कुमार	01	01.04.2016	1000000	50000	20000	1000	69000
2.	सत्यनारायण सिंह रावत	02	01.04.2016	2100000	105000	25000	1000	129000
3.	प्रेम नारायण शर्मा	03	01.04.2016	1510000	75500	25000	1000	99500
4.	जयदीप अग्रवाल	04	01.04.2016	1040000	52000	20800	1000	71800



5.	गोविंद सिंह बिष्ट	05	01.04.2016	1105000	55250	22100	1000	76350
6.	सुनील कुमार	07	01.04.2016	1800000	90000	25000	1000	114000
7.	नरेंद्र सिंह वाधवा	08	01.04.2016	1025000	51250	20500	1000	70750
8.	सुरेश चंद जोशी	09	01.04.2016	770000	38500	15400	1000	52900
9.	कमलेश कुमार	10	01.04.2016	580000	29000	11600	1000	39600
10.	त्रिभुवन सिंह	11	01.04.2017	450000	22500	9000	1000	30500
11.	मनोज बालूनी	13	01.04.2017	505000	25250	10100	1000	34350
12.	पंकज कुकरेती	14	01.04.2016	1000000	50000	20000	1000	69000
13.	शकुंतला देवी	15	01.04.2017	1812000	90600	25000	1000	114600
14.	राम कुमार	16	01.04.2016	1100000	55000	22000	1000	76000
15.	विनय गुसाई	17	01.04.2016	810000	40500	16200	1000	55700
16.	सुरेश नेगी	18	01.04.2016	752000	37600	15040	1000	51640
17.	सुनील तोमर	19	01.04.2017	480000	24000	9600	1000	32600
18.	लच्छी सिंह	20	01.04.2017	500000	25000	10000	1000	34000
19.	संजय मित्तल	21	01.04.2016	735000	36750	14700	1000	50450
20.	श्याम सुमन	24	01.04.2016	773000	38650	15460	1000	53110
21.	विजय लक्ष्मी नेगी	25	01.04.2017	651000	32550	13020	1000	44570
22.	राजीव कोठारी	26	01.04.2016	1130000	56500	22600	1000	78100
23.	भगवती चरण कवटीयल	27	01.04.2016	970000	48500	19400	1000	66900
24.	बाबू अशरफ	28	01.04.2017	1101000	55050	22020	1000	76070
25.	जयजीत बड़थवाल	29	01.04.2016	1610000	80500	25000	1000	104500
				<b>25309000</b>	<b>1265450</b>	<b>454540</b>	<b>25000</b>	<b>1694990</b>

आगे जांच में पाया गया की दुकानों को सार्वजनिक बोली के द्वारा आबंटित की गयी थी बोली की प्रीमियम की धनराशि को अनुबंधों में नहीं दर्शायी गयी था। अनुबन्धों में केवल रूपये 1000/ के स्टॉप को दर्शाया था। जिस कारण से सरकार को ` 1694990/- का राजकोषीय घाटा हुआ था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि प्रीमियम की धनराशि अनुबन्धों में नहीं दर्शाना हेतु भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, दुकानों की लिजों की अवधि की सीमा निर्धारित नहीं की गयी तथा प्रीमियम में स्टॉप शुल्क तथा पंजीयन फीस नियमों की जानकारी न होने के कारण नहीं ली गयी थी। क्या दुकाने असीमित अवधि हेतु दी गयी है के उत्तर में बताया कि अनुबंधों में अवधि नहीं दर्शायी गयी । इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि दुकानों की अनुबंधों में प्रीमियम की

धनराशि नहीं दर्शायी गयी थी तथा स्टॉप शुल्क तथा पंजीयन फीस की वसूली नहीं की गयी थी। जिस कारण से सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

अतः इकाई द्वारा धनराशि ₹ 16.95 लाख की राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### **भाग-III**

(क) परिचयात्मक:- कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार के वित्तीय वर्ष 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री राजवेश भट्ट, व. लेखापरीक्षक, श्री राकेश रंजन एवं श्री पी. आर. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.02.2021 से 17.02.2021 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	93/2016-17	00	01 से 06	00	
02	71/2018-19	00	01 से 06	01 से 04 तक	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरो का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरो को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

### **भाग-IV**

#### **इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- सामान्य -

**भाग-V**  
**आभार**

- 1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
- 2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए-
  - (i) वर्ष 2018-19 के रोकड़ बही
  - (ii) टूल एण्ड प्लांट पंजिका
- 3- सतत अनियमितताएं-
  - (i) नई अंशदायी पेंशन योजना का लागू न किया जाना।
- 4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री कमलेश मेहता	नगर आयुक्त	29.11.2018 से 17.01.2019
(ii)	श्री अनिल चन्याल	नगर आयुक्त	18.01.2019 से 28.02.2019
(iii)	श्री मनीष कुमार सिंह	नगर आयुक्त	01.03.2019 से 29.07.2019
(iv)	श्री योगेश मेहरा	नगर आयुक्त	30.07.2019 से 19.07.2020
(v)	श्री पी.एल. शाह	नगर आयुक्त	20.07.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, शहरी विकास (AMG-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

**वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II**